न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 25/2019 अपील

1. लादू पिता जोधा गुर्जर निवासी गोठडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कोटडी दिनांक 08.07.2019 प्रकरण संख्या 17/2019

उपस्थित –

1. श्री दिनेश शिसोदिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटडी प्रकरण संख्या 17/2019 दिनांक 08.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट पर कोई किसी प्रकार की विधिवत सम्यक एवं प्रोपर तामील उक्त प्रकरण के नोटिस सम्मन की आज दिन तक नहीं हुई न अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कोई किसी प्रकार की एकपक्षीय कार्यवाही ही की है। इस प्रकार पारित आदेश नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। अपीलान्ट के विरूद्ध जो अतिक्रमण की कार्यवाही की गयी है वह किसी कदर आराजी संख्या 171 बकिस्म चाराहगाह का भू भाग नही है, बल्कि अपीलान्ट की कब्जेशुदा आराजियात आबादी हल्के के भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने प्रधानमन्त्री स्वच्छता अभियान के तरह शोचालय एवं मकान का निर्माण कराया है और इस हेतु संबंधित पंचायत एवं पंचायत समिति ने प्रोत्साहन राशि निर्माण हेतु स्वीकृत की है। इस प्रकार अपीलान्ट की कब्जेशुदा आराजियात जब बिलानाम चाराहगाह भूमि न होकर आबादी हल्के की भूमि है तो फिर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करना प्रारंभ से ही गलत अवैध था व है। अपीलान्ट ने कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण आराजी संख्या 171 रकबा 10 बिस्वा पर जानबूझकर नहीं किया है तो फिर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सर्वथा गलत होकर अवैध है वैसे भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण कतई साबित न होते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी करार देने में भारी भूल की है। कोई किसी प्रकार पूर्व का बेदखली पर्चा आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुये है न अपीलान्ट को कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस ही दिया गया। इतना ही नही प्रकरण हाजा में कोई किसी

प्रकार के बयान पटवार हल्का के अधीनस्थ न्यायालय में नही हुये है। इस प्रकार कोई किसी प्रकार का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा किया जाना पत्रावली पर सिद्ध नही हुआ है, तो फिर तथाकथित नोटिस के आधार अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना सिद्ध मानते हुये 3 माह के सिविल कारावास दिये जाने का जो आदेश पारित किया है वह निर्णय सर्वथा गलत एवं अवैद्य होने से काबिल अपास्तगी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस अपीलान्ट को दिया जाना बताया जाता है वह नोटिस ही विधि के तहत प्रोपर प्रारूप में नही है अर्थात् न तो नोटिस में किस धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करने दिया गया है वह धारा का स्थान ही नोटिस में रिक्त पडा हुआ है इतना ही नहीं नोटिस जारी करने की दिनांक भी रिक्त पडी हुयी है तो फिर उक्त नोटिस विधिवत नहीं है और न उक्त नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में दिया जाना ही विधि के तहत माना जा सकता है। अपीलांट को शहादत आदि प्रस्तुत करने को समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा न पटवार हल्का के कोई बयान ही अधीनस्थ न्यायालय में हुये है न जिरह करने का अवसर ही अपीलान्ट को दिया गया इतना ही नही पत्रावली पर किसी स्वतन्त्र गवाह के बयानों से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के मध्य को ही सिद्ध को ही सिद्ध ही कराया गया है ऐसी हालात में पारित आलोच्च विधि के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। अतः अपील अपीलान्ट फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्च निर्णय दिनांक 08.07.2019 को अपास्त फरमा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्राप फरमायी जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध जो अतिक्रमण की कार्यवाही की गयी है वह किसी कदर आराजी संख्या 171 बकिस्म चाराहगाह का भू भाग नही है, बल्कि अपीलान्ट की कब्जेशुदा आराजियात आबादी हल्के के भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने प्रधानमन्त्री स्वच्छता अभियान के तरह शोचालय एवं मकान का निर्माण कराया है और इस हेतु संबंधित पंचायत एवं पंचायत समिति ने प्रोत्साहन राशि निर्माण हेतु स्वीकृत की है। इस प्रकार अपीलान्ट की कब्जेशुदा आराजियात जब बिलानाम चाराहगाह भूमि न होकर आबादी हल्के की भूमि है तो फिर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करना प्रारंभ से ही गलत अवैध था व है। अपीलान्ट ने कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण आराजी संख्या 171 रकबा 10 बिस्वा पर जानबूझकर नहीं किया है तो फिर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सर्वथा गलत होकर अवैध है वैसे भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण कतई साबित न होते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी करार देने में भारी भूल की है। अपीलांट को शहादत आदि प्रस्तुत करने को समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा न पटवार हल्का के कोई बयान ही अधीनस्थ न्यायालय में हुये है न जिरह करने का अवसर ही अपीलान्ट को दिया गया इतना ही नही पत्रावली पर किसी स्वतन्त्र गवाह के बयानों से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के मध्य को ही

सिद्व को ही सिद्व ही कराया गया है ऐसी हालात में पारित आलोच्च विधि के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। अतः अपील अपीलान्ट फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्च निर्णय दिनांक 08.07.2019 को अपास्त फरमा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्राप फरमायी जावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार कोटडी ने ग्राम गोटडा के आराजी नं. 171 रकबा 0.10 बीघा किस्म चारागाह प्रथम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से अप्रार्थी श्री लादु पिता जोधा गुर्जर निवासी गोटडा को अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का 50 गुणा 25/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए अप्रार्थी को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का दिनांक 08.07.2019 को आदेश पारित किया गया जो सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार कोटडी ने ग्राम गोटडा के आराजी नं. 171 रकबा 0.10 बीघा किस्म चारागाह प्रथम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से अप्रार्थी श्री लादु पिता जोधा गुर्जर निवासी गोटडा को अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का 50 गुणा 25/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए अप्रार्थी को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का दिनांक 08.07.2019 को आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटडी के प्रकरण सं0 17/2019 दिनांक 08.07.2019 के क्रम में अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2019 पत्रावली संख्या 17/2019 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 19:02:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: